"स्वच्छ भारत मिशन" (अर्बन) के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति" (स्टेट हाई पावर्ड कमेटी) की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :

सर्वश्री–

1– अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
5– अरूण सिंघल, प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
6– प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
7– मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– मणि प्रसाद मिश्र, सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
10– डा0 हरिओम, सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
11– गोविन्द राजू एनएस, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12– महेन्द्र कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
13– प्रेम शंकर, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
14– हेमन्त कुमार, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15– राकेश कुमार मिश्रा, मिशन निदेशक (एसबीएम)/निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16– विशाल भारद्धाज, अपर निदेशक, निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
17– ए.के. गुप्ता, अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
18– रूद्र प्रताप सिंह, आयुक्त, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश।
19– एल.के. वेंकटेश्वर लू, मण्डलायुक्त, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट।
20– के. रामगोहन राव, मण्डलायुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
21– नीलम अहलावत, मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
22– नितिन गोकर्ण, मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
23– मुहम्मद इफ्ताखरूद्दीन, मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
24– अनिल कुमार, मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
25– एम.पी. अग्रवाल, मण्लायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
26– रंजन कुमार, मण्डलायुक्त, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
27– राजन शुक्ला, मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
28– सुभाष शर्मा, मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
29– चन्द्रकान्त, मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
30– सुधीर दीक्षित, मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
31– प्रमांसु, मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
32– सूर्य प्रकाश मिश्र, मण्डलायुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
33– अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, एचयूपीए, नई दिल्ली।
34– राजशेखर, जिलाधिकारी, लखनऊ।
35– वैभव श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, मऊ।
36– अमित किशोर, जिलाधिकारी, रामपुर।
37– नरेन्द्र सिंह पटेल, जिलाधिकारी, बस्ती।
38– आर.के. सिंह, जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
39– सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी, उरई/वी.सी, यूएसडीए।
40– आर.एस. पाण्डेय, अपर निदेशक सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
41– वेद प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।
42– अनिल कुमार दमेले, निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
43– विनोद कुमार यदुवंशी, उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।
44– संजय कुमार सिंह, सचिव, उरई विकास प्राधिकरण, उरई।
45– राजेश कुमार, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकार, मुरादाबाद।
46– योगेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
47– देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
48– ओम प्रकाश राय, उपाध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।
49– मनीषा त्रिघाटिया, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
50– विनय कुमार यादव, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
51– पी.सी. श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

52– चन्द्र प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष, मथुरा विकास प्राधिकरण, मथुरा।
53– राजेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, एचपीडीए।
54– डी.एस. उपाध्याय, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
55– रवीन्द्र मांदड़, सचिव, फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद।
56– शैलेन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष, बीडीए, बुलन्दशहर।
57– कुमार विनीत, अपर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
58– रामभवन तिवारी, अपर जिलाधिकारी, हमीरपुर।
59– के.पी. सिंह, संचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
60– महेन्द्र सिंह, अपर निदेशक, पंचायत विभाग।
61– पी.के. श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
62– रवीन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
63– ऋषिकेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
64– अमित सिंह बंसल, मुख्य विकास अधिकारी, खीरी।
65– सर्वेन्द्र सिंह यादव, एसपी ट्रैफिक।
66– किरन यादव, एसपी ट्रैफिक, मेरठ।
67– प्रबल प्रताप सिंह, एसपी ट्रैफिक, नोयडा।
68– कमल किशोर, एसपी ट्रैफिक, वाराणसी।
69– एन. शर्मा, एसपी ट्रैफिक, इलाहाबाद।
70– इन्द्र विक्रम सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
71– डा0 नीरज शुक्ला, नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।
72– शीलधर सिंह यादव, नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
73– अरूण प्रकाश, नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
74– राम औतार, नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।
75– संतोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़।
76– बद्रीनाथ सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
77– देवेन्द्र सिंह कुशवाहा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
78– अब्दुल समद, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
79– उमेश प्रताप सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
80– एस.पी. शाही, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
81– उदयराज सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
82– प्रेम आसूदानी, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
83– ए.के. राय, मुख्य महाप्रबंधक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
84– आर.एन. गोयल, मुख्य महाप्रबंधक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
85– विजय कुमार सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
86– इन्द्रपाल कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा।

बैठक में सर्वप्रथम **स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन)** के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की **राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति** की बैठक में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा नामित श्री प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस.बी.एम.), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात, सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बैठक में मिशन के सम्बन्ध में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रमुख बिन्दुओं को संक्षेप में अवगत कराया गया।

2– समिति की प्रथम आहूत बैठक दिनांक 23.06.2015 में समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या।

समिति की प्रथम आहूत बैठक दिनांक 23.6.2015 के क्रम में जारी कार्यवृत्त दिनांक 04–07–2015 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में समिति को अनुपालन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। समिति द्वारा अवलोकनोपरान्त यह निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों में जनपद स्तरीय रिव्यू एण्ड मानीटरींग कमेटी (DLMRC) के गठन की कार्यवाही अभी भी अवशेष है, उन जनपदों में DLMRC के गठन की कार्यवाही सम्बंधित जिलाधिकारियों द्वारा अविलम्ब करायी जाय तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार गठित कमेटी की नियमित बैठकें कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

{कार्यवाही: समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी/समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत}

3— **स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति पर आख्या।**

समिति द्वारा प्रथम बैठक दिनांक 23.6.2015 में स्वीकृत मिशन के अन्तर्गत तैयार किये गये कानसेप्ट नोट/कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक के प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार 963257 घरेलू स्वच्छ शौचालयों के सापेक्ष 225338 घरेलू स्वच्छ शौचालयों, 35560 सीट्स युक्त सामुदायिक शौचालयों के सापेक्ष 5214 सीट्स युक्त सामुदायिक शौचालयों तथा 25630 सीट्स युक्त सार्वजनिक शौचालयों के सापेक्ष 2151 सीट्स युक्त सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ओ.डी.एफ. हेतु चिन्हित 150 नगर निकायों के 985 वार्डों को खुले में शौच से मुक्त कराया जा चुका है। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक के अन्तर्गत 53 नगर निकायों के 638 वार्डो में शत—प्रतिशत घरों से कूड़े के कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है। 29 नगर निकायों में भारत सरकार के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की परियोजनायें (वेस्ट—टू—कम्पोस्ट पद्धति पर आधारित) निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। अवशेष अन्य नगर निकायों में एस.डब्लू.एम. परियोजना हेतु Processing Plants के निर्माण के लिए cluster आधार पर प्लान्ट तैयार किये जाने हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत प्रोसेसिंग प्लान्ट/सैनीटरी लैण्ड फिल के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि चिन्हित कर कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जाय, जिससे उक्त निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराया जा सके।

{कार्यवाहीः समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी/समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत}

4— **घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त करने पर ही प्रथम किस्त की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित किये जाने के शर्त को हटाया जाना।**

भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार घरेलू स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु लाभार्थी के आवेदन पत्र की स्वीकृति पर प्रथम किश्त की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जानी है। परन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति के उपरान्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रथम किस्त की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा बैठक दिनांक 23.6.2015 में लिया गया था, जिसके कारण मिशन में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। उक्त निर्माण कार्य में अपेक्षित गति सुनिश्चित कराये जाने के लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति करने पर ही केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रथम किस्त की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित किये जाने की शर्त को हटाया जाय।

उक्त संबंध में सम्यक् विचार—विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के दिशा—निर्देश के अनुसार घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु लाभार्थी के आवेदन पत्र की स्वीकृति पर प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) की केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

{कार्यवाहीः वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/ राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)/समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत}

5— **"ओपन—डेफीकेशन—फ्री"(ओ.डी.एफ.) हेतु चिन्हित 150 नगर निकायों एवं उनमें प्रस्तावित घरेलू स्वच्छ शौचालय व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु निर्धारित केन्द्रांश व राज्यांश की सम्पूर्ण धनराशि सम्बंधित नगर निकायों को एक मुश्त अवमुक्त किये जाने हेतु तत्संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने के संबंध में ।**

भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों के क्रम में "नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल" द्वारा विचाराधीन प्रदेश के 41 नगर निकायों एवं 109 अन्य नगर निकायों {अधिकतम प्रगति वाले}, कुल चिन्हित 150 नगर निकायों में 31 मार्च, 2017 तक "खुले में शौच से मुक्त

(ओपन–डेफ़ीकेशन–फ्री)'' किये जाने का लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक घरेलू स्वच्छ शौचालय तथा सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि दो किश्तों में (प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रेषण के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि) अवमुक्त किया जाना है। प्रस्तावित किया गया कि उक्त निकायों में ओ.डी.एफ़. का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के दृष्टिगत लक्षित समस्त घरेलू स्वच्छ शौचालयों तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु निर्धारित केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि के दृष्टिगत अवशेष केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि एक मुश्त अवमुक्त किया जाना आवश्यक है। सम्यक विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त के सम्बन्ध में सम्यक प्रस्ताव राज्य मिशन निदेशक (एस.बी.एम.) द्वारा शासन के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

[कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/ राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)]

6– भारत सरकार को प्रेषित ''कॉन्सेप्ट नोट/कार्य योजना'' के सापेक्ष प्रस्तावित पुनरीक्षित कार्य–योजना (वर्ष–वार व नगर निकाय–वार) का अनुमोदन।

(क) प्रथम एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदित कॉनसेप्ट नोट के अनुसार वर्तमान वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य :

क्र0 सं0	मद	संख्या	निर्धारित केन्द्रांश (रू0)	अनुमानित लागत (रू0 करोड़)	केन्द्रांश की धनराशि (रू0 करोड़)
1	IHHT	11,74,704 शौचालय	रू0 4,000 प्रति शौचालय	1826.8112	469.8816
2	CT	43,370 सीट्स	रू0 26000 प्रति सीट	281.905	112.762
3	PT	31,256 सीट्स	शून्य	234.420	0.00
4	SWM	11,290 वार्डस	रू0 300.00 प्रति व्यक्ति	3224.80	644.96
5	IEC and PS	636 नगर निकाय	कुल लागत का 75%	440.00	329.00
6	CB and A&OE	636 नगर निकाय	कुल लागत का 75%	87.73	65.795
	योग			**6095.6662**	**1622.3986**

(ख) पुनरीक्षित वित्तीय एवं भौतिक कार्य–योजना का संक्षिप्त विवरण (वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक) :

क्र0 सं0	मद	संख्या	अनुमानित लागत (रू0 करोड़)	केन्द्रांश की धनराशि (रू0 करोड़)	राज्यांश की धनराशि (रू0 करोड़)
1	IHHT	11,05,007 शौचालय	1704.2146	442.0028	442.0028
2	CT	30,781 सीट्स	200.0765	80.0306	80.0306
3	PT	26,984 सीट्स	202.380	0.00	0.00
4	SWM	11,290 वार्डस	4704.550	940.910	2698.0863
5	IEC and PS	636 नगर निकाय	263.2133	197.410	65.8033
6	CB and A&OE	636 नगर निकाय	65.80	49.350	16.450
	योग		**7140.2344**	**1709.7034**	**3302.373**

समिति द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित कार्य–योजना का अवलोकन करते हुए निकाय–वार एवं वर्ष–वार प्रस्तुत विवरण के अनुसार कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

[कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)/ समस्त नगर निकाय,उ.प्र.]

7– भारत सरकार द्वारा अव[...] धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त प्राप्त किये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र [...] में संशोधित प्रक्रिया।

मिशन के अन्तर्गत [...]ी किश्त की धनराशि की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के guidelines के अनुसार National Advisory & Review Committee (NARC) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के दृष्टिगत पूर्व में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्रों (UCs) का प्रेषण आवश्यक है। उपर्युक्त guidelines के अनुसार नगरीय निकायों से अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष UC प्राप्त किये जा रहे हैं, जिन्हें संकलित कराकर भारत सरकार को प्रेषित किया जा सकेगा। नगरीय निकायों से UC प्राप्त होने में विलम्ब के दृष्टिगत राज्य मिशन निदेशालय द्वारा नगरीय निकायों को अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर **रू. 50.0922 करोड़** धनराशि का UC भारत सरकार को शासन के माध्यम से दिनांक 30.6.2016 को अनुमोदन हेतु प्राप्त कराया जा चुका है। मिशन के विभिन्न घटकों को उनके लक्ष्य के अनुसार कार्यान्वित किये जाने हेतु यह राज्य मिशन निदेशालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों हेतु राज्य मिशन निदेशालय स्तर से जारी केन्द्रांश व समतुल्य राज्यांश का **अवमुक्त प्रमाण पत्र** भारत सरकार को प्रेषित कर अगली क़िश्त प्राप्त करने का अनुरोध किया जाय एवं प्रश्नगत कार्य पूर्णता के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि का UC वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रेषित किया जाय। उक्त प्रकिया के अनुसार मिशन के कार्यों में अपेक्षित गति लायी जा सकती है। सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के संबंध में समुचित प्रस्ताव राज्य मिशन निदेशक (एस.बी.एम.) द्वारा शासन को प्रेषित किये जायें एवं जिसे शासन द्वारा अनुमोदन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

{कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)}

8– राज्य मिशन निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) में आवश्यक अतिरिक्त पदों पर आउट–सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति।

मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की सभी नगर निकायों में कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की नियमित समीक्षा एवं परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य मिशन निदेशालय स्तर पर वर्तमान में कार्यरत विशेषज्ञों एवं सपोर्ट स्टाफ के अतिरिक्त एक Finance cum Accounts Specialist (रू0 60,000/– प्रति माह के मानदेय पर), दो Data Entry cum Computer Operator (प्रत्येक कर्मी रू0 15,000/– प्रति माह के मानदेय पर), दो Multi Tasking Staff (प्रत्येक कर्मी रू0 10,000/– प्रति माह के मानदेय पर) तथा एक Sweeper (Safai Karmchari) (रू0 265/– प्रति दिन के मानदेय पर) इस प्रकार 6 पदों की अतिरिक्त आवश्यकता है, जिस पर वार्षिक व्यय रू0 0.1415 करोड़ होगा, जिसे Administrative & Office Expenses मद में आवंटित केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि से भुगतान किया जा सकता है। राज्य मिशन निदेशालय द्वारा उपरोक्त कार्मिकों का आबद्धीकरण सेवा प्रदाता (आउट सोर्सिंग) संस्था के माध्यम से तथा भुगतान A&OE मद से किये जाने हेतु राज्य मिशन निदेशक को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

{कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)}

9– नगरीय निकाय स्तर पर प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट (पी0आई0यू) में आवश्यक पदों पर सेवा प्रदाता (आउट सोर्सिंग) के माध्यम से नियुक्ति।

मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी नगर निकायों में मिशन के विभिन्न घटकों की नियमित समीक्षा एवं परियोजना के सफल क्रियान्वयन, समस्त सम्बन्धित गतिविधियों के समयबद्ध संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश के सभी नगर निकायों में पी0आई0यू0 के गठन एवं तत्सम्बन्धी भुगतान A&OE मद में स्वीकृत धनराशि से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। राज्य मिशन निदेशालय द्वारा 75 जनपद मुख्यालय स्तरीय निकायों में एक–एक District Programme (SBM-Urban) Manager cum IT Specialist (प्रत्येक विशेषज्ञ रू0 35,000/– प्रति माह के मानदेय पर + Applicable taxes and charges) तथा 561 नगर निकायों के स्तर पर एक–एक Multi Tasking Staff

cum Computer Operator (प्रत्येक कर्मी रू0 10,000/- प्रति माह के मानदेय पर + Applicable taxes and charges) को आबद्ध करने के संबंध में (जिस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 9.882 करोड़ होगा) प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पर विचारोंपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पी0आई0यू0 के गठन हेतु कार्मिकों का आबद्धीकरण राज्य मिशन निदेशक द्वारा किया जायेगा एवं तत्सम्बन्धी भुगतान "एट सोर्स" मिशन निदेशालय स्तर से निकायों के पक्ष में आवंटित धनराशि से किये जायेंगे। उक्त के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि निकायों के पक्ष में आवंटित प्रशासनिक एवं अन्य व्यय के मद की धनराशि में कमी होती है तो उक्त परिस्थिति में राज्य स्तर पर आवंटित उक्त मद की धनराशि से भुगतान की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

{कार्यवाहीः नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/ राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)/ समस्त नगर निकाय,उ.प्र.}

10– मिशन के अन्तर्गत CB and A&OE मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन एवं उसके सापेक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अधिकार राज्य मिशन निदेशक को प्रदान किया जाना।

मिशन के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतुं राज्य मिशन निदेशालय स्तर पर गठित पी0एम0यू0 हेतु आवश्यक उपकरण यथा कम्प्यटूर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, फोटोकॉपियर एवं अन्य विविध इलेक्ट्रानिक उपकरणों को क्रय किये जाने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू0 10 लाख की अधिकतम एक मुश्त धनराशि आवंटित किये जाने, ऑफिस एवं फैसिलिटी मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत पी0एम0यू0 में कार्यरत विशेषज्ञों/सपोर्ट स्टाफ के मानदेय पर होने वाले व्यय की धनराशि का अधिकतम 50 प्रतिशत राज्य मिशन निदेशालय/पी0एम0यू0 कार्यालय के सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु आवश्यक अन्य विविध कार्यों में व्यय किये जाने, राज्य मिशन निदेशालय/पी0एम0यू0 के अधिकारियों द्वारा मिशन के प्रस्तावित कार्यों हेतु की जाने वाली यात्राओं का अनुमोदन एवं उसके सापेक्ष व्यय राज्य सरकार के तद्विषयक नियमों के अनुसार किये जाने तथा कान्फ्रेन्स मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत मिशन से सम्बन्धित बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कॉन्फ्रेन्स, वर्कशॉप, एक्सपोजर विजिट के सम्बंध में उक्त वर्णित कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने, तत्सम्बन्धी विभिन्न कार्यो का अनुमोदन प्रदान किये जाने एवं उसके सापेक्ष वित्तीय व्यय भारत सरकार की CCBP Toolkit के अनुसार संगत मद से किये जाने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार राज्य मिशन निदेशक को प्रतिनिधानित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

{कार्यवाहीः नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)}

11– 105 नगर निकायों में कूड़े के कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन आदि कार्यों हेतु प्रस्तावित समेकित डी0पी0आर0 लागत रू. 184.7547 करोड़

105 नगर निकायों द्वारा SWM के अन्तर्गत कूड़े के कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन आदि कार्यों हेतु भारत सरकार के guidelines के अनुसार सेन्सस् 2011 की जनसंख्या के आधार पर समुचित कार्य-योजना निर्धारित प्रारूपों पर निदेशालय को प्रेषित की गयी, जिसके आधार पर सी. एण्ड डी. एस., उ0प्र0 जल निगम (शासन द्वारा SWM कार्यांश हेतु नामित कार्यदायी संस्था) द्वारा प्रारम्भिक अनुमान/डी.पी.आर अनुमानित लागत रू. 184.7547 करोड़ तैयार की गई है। समिति द्वारा इस बात का संज्ञान लिया गया कि प्रस्तुत तैयार परियोजना में वह नगर निकाय भी शामिल हैं जिनका वित्त पोषण पूर्व योजना यथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत हुआ है परन्तु पूर्व में वित्त पोषित कलेक्शन, स्टोरेज एवं ट्रान्सपोर्टेशन यन्त्र/सामग्री तथा कूड़े के निस्तारण सम्बन्धी प्रोसेसिंग प्लान्ट सम्प्रति वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, जिसके कारण वर्तमान की वास्तविक मांग के आधार पर निकायों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तुत डी0पी0आर0 तैयार की गयी है, जो कि सम्बन्धित नगर निकायों में कूड़े के प्रबन्धन की व्यवस्था को लागू कराने के लिए अत्यन्त आवश्यक

है। सी. एण्ड डी. एस. द्वारा प्रस्तुत उक्त समेकित डी.पी.आर का समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त डी0पी0आर0 की लागत पी0एफ0ए0डी0 एवं वित्त व्यय समिति द्वारा मूल्यांकित लागत की सीमा तक ही स्वीकृत मानी जायेगी।

वाराणसी नगर निगम द्वारा प्रेषित Detailed Project Report on Strengthening Municipal Solid Waste Management System in Varanasi परियोजना की डी.पी.आर अनुमानित लागत रू. 49.9233 करोड़, जिसमें Provision of Receptacles for making Varanasi Litter-free and Secondary waste Storage, Provision of Door to Door Garbage Collection Services in 27 wards, Provision of Door to Door Garbage Collection Services in 49 wards, Provision of Improvement in SWM Transportation Efficiency- Vehicular repairs and Special Equipment Procurement, Provision of ICT in SWM System, and Provision of Scientific Capping of Ramana Dumpsite and site development कार्य प्रस्तावित किये गये हैं, को समिति के समक्ष नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा यह संज्ञान लिया गया कि नगर निगम, वाराणसी को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत एकीकृत परियोजना स्वीकृत की गयी थी, जिसमें प्रस्तावित परियोजना के कतिपय घटक भी शामिल थे, जो कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में परियोजना के विवादित होने के कारण सम्प्रति प्रयोग में नहीं है एवं अधिकांश संयंत्र निष्प्रयोज्य हैं, जिसके कारण नगर निगम की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है एवं जन सामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत डी0पी0आर0 रू0 49.9233 करोड़ की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि परियोजना की लागत पी0एफ0ए0डी0 एवं व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत की सीमा तक स्वीकृत मानी जायेगी।

तदोपरान्त, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा नगर निकाय में कूड़े के कलैक्शन, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन आदि कार्यों हेतु प्रारम्भिक प्रस्ताव अनुमानित लागत रू. 72.58 करोड़ को समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा यह संज्ञान लिया गया कि नगर निगम, मेरठ को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत एकीकृत परियोजना स्वीकृत की गयी थी, जिसमें प्रस्तावित परियोजना के घटक भी शामिल थे, जो कि वर्तमान में विवादित होने के कारण सम्प्रति प्रयोग में नहीं है एवं अधिकांश संयंत्र निष्प्रयोज्य हैं, जिसके कारण नगर निगम की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है एवं जन सामान्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रस्ताव रू0 72.58 करोड़ की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ परियोजना की समुचित डी0पी0आर0 तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेंगें एवं परियोजना की लागत पी0एफ0ए0डी0 एवं व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत की सीमा तक स्वीकृत मानी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वाराणसी नगर निगम व लखनऊ नगर निगम के द्वारा भारत सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 10–10 नग Waste Recipient Bin cum Kiosk को 37 माह तक (अर्थात मिशन अवधि में) किराये पर लगाये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमानित लागत रू0 0.444 करोड़ प्रस्तुत किये गये जिस पर समिति द्वारा विचारोंपरान्त अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि मिशन अवधि के पश्चात अवशेष आवश्यक धनराशि सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।

{कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/राज्य मिशन निदेशालय (एस.बी.एम.)/सी. एंड डी. एस./ वाराणसी नगर निगम/ लखनऊ नगर निगम/मेरठ नगर निगम}

12– कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यांश के अन्तर्गत 636 नगर निकायों के अधिकारी/कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन हेतु ट्रेनिंग कार्यक्रम का प्रस्ताव।

मिशन के अन्तर्गत क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा तैयार किये गये समस्त निकायों के अधिकारियों/कार्मिकों/जन–प्रतिनिधिगणों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव लागत रू0 232.90 लाख समिति के समक्ष अपर निदेशक, आर0सी0यू0ई0एस0 द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत

किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मिशन अवधि में कुल 112 ट्रेनिगं प्रोग्राम आयोजित किये जाने हैं। निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जन-प्रतिनिधिगणों को निम्नलिखित मॉड्यूल्स पर ट्रेनिगं करायी जानी प्रस्तावित है:-

Module 1: Swachh Bharat Mission (SBM)- Need Importance & Provisions. (Sanitation & Solid Waste Management) हेतु 56 ट्रेनिगं प्रोग्राम।

Module 2: Public Private Partnership For Infrastructure Development & Asset Management under SBM हेतु 35 ट्रेनिगं प्रोग्राम।

Module 3: Hands on Training Programme on SBM Portal हेतु 21 ट्रेनिगं प्रोग्राम।

समिति द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि कार्यदायी संस्था आर.सी.यू.ई.एस. के निदेशक द्वारा ट्रेनिंग कार्यक्रम के उपरान्त ट्रेनिंग कार्यक्रम से सम्बधित वास्तविक बिल एवं बाउचर्स राज्य मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसके सत्यापन के उपरान्त वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग मद में राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराशि से की जायेगी।

{कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)/आर.सी.यू.ई.एस., लखनऊ/समस्त नगर निकाय,उ.प्र.}

13- मिशन के अन्तर्गत पुनरीक्षित केन्द्रांश के सापेक्ष पुनरीक्षित राज्यांश का निर्धारण।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 20/1/2016-एस.बी.एम.-I दिनांक 18.7.2016 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न घटकों हेतु पूर्व में स्वीकृत केन्द्रांश को पुनरीक्षित किया गया है, जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

Sl No	Component	Current Pattern		Revised Pattern	
		Unit Cost	GoI Share	Unit Cost	GoI Share
1	IHHT	Rs. 15000/- to Rs. 20 000/-Per Toilet	Rs. 4000/- Per Toilet	No Change	
2	CT	Rs. 65000/- Per Seat	Rs. 26000/- Per Seat	Rs. 98000/- Per Seat	**Rs. 39200/- Per Seat**
3	PT	Rs. 75000/- Per Seat	No Funding	Rs. 98000/- Per Seat	**Rs. 39200/- Per Seat**
4	SWM	Rs. 1200/- Per Person	20 %	Rs. 1200/- Per Person	**35 %**
5	CB and A&OE	75 % (State Allocation of Central Share)		No Change	
6	IEC and PA	75 % (State Allocation of Central Share)		No Change	
7*	Urinal	No Provision		Rs. 32000/- Per Unit	Rs. 12800/- Per Unit

* New Component (Urinal) introduced

उपरोक्त तालिका में पुनरीक्षित केन्द्रांश के सापेक्ष पूर्व में निर्धारित राज्यांश को पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारोपरान्त समिति द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

क्र0 सं0	मद	निर्धारित केन्द्रांश (रू0)	स्वीकृत राज्यांश (रू0)	[illegible] (रू0)	प्रस्तावित पुनरीक्षित राज्यांश (रू0)
1	CT	रू. 26000 प्रति सीट	रू. 26000 प्रति सीट	रू.39200 प्रति सीट	रू. 39200 प्रति सीट
2	PT	शून्य	शून्य	रू. 39200 प्रति सीट	रू. 39200 प्रति सीट
3	SWM	20%	निकाय / राज्यांश / निकायांश न0नि0 / 50% / 30% न0पा0प0 / 60% / 20% न0पं0 / 70% / 10%	35%	निकाय / राज्यांश / निकायांश न0नि0 / 40% / 25% न0पा0प0 / 50% / 15% न0पं0 / 55% / 10%
4	Urinals	कोई व्यवस्था नही		रू.12800 प्रति यूनिट	रू. 12800 प्रति यूनिट

{कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)}

14— **वाराणसी नगर निगम द्वारा प्रेषित कैपेसिटी बिल्डिंग एवं आई0ई0सी0 सम्बन्धी प्रस्ताव—**

समिति को संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांकित 22—07—2016 के संबंध में भी अवगत कराया गया जिसके द्वारा ह्रदय शहरों (वाराणसी व मथुरा) को अतिरिक्त मिशन फण्ड उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त क्रम में नगर निगम, वाराणसी में आई0ई0सी0 एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा क्रमशः रू0 78.725 लाख एवं रू0 10.80 लाख के प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। कैपेसिटी बिल्डिंग एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि नगरीय निकायों को उनकी जनसंख्या—2011 के अनुपात में अन्तरित की जाती है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत कर भारत सरकार को धन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित कर दिया जाय।

{कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/राज्य मिशन निदेशालय(एस.बी.एम.)}

उपर्युक्तानुसार हुए विचार—विमर्श तथा संस्तुति/निर्णय के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

26/8/2016
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग—5
संख्या—3634/नौ—5—2016—180सा/2015टीसी
लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, (एस0बी0एम0),
नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,

जारी
09-5-17

सेवा में,

श्री प्रवीण प्रकाश,
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस0बी0एम0)
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

संख्याः–पी0एम0यू0/ 61 /433(2)/2017 लखनऊ दिनांक 09 **मई, 2017**

विषयः स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय के निर्माण हेतु केन्द्रांश की धनराशि निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य के संदर्भ में 26,984 सार्वजनिक शौचलय की सीटों एवं 40,436 मूत्रालय सीटों के निर्माण का लक्ष्य है। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल के संदर्भ में केन्द्रांश के बराबर ही राज्यांश की धनराशि निर्धारित है। **(कार्यवृत्त का प्रस्तर 13)**

2. अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रदेश के सभी 636 (वर्तमान में 654) नगर निकायों में 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती के एक वर्ष पूर्व ही अर्थात् 02 अक्टूबर, 2018 तक शत प्रतिशत स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जानी है।

3. उक्त के दृष्टिगत सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय के निर्माण हेतु केन्द्रांश की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जारी करने का कष्ट करें:–

Component	Mission Target	No. for which amount to be released	Base Rate (Amount in Rs)	Total Demand (Amount in Rs)
PT	26,984	26,984	39,200.00	105,77,72,800.00
Urinals*	40,436	40,436	12,800.00	51,75,80,800.00
Total				**157,53,53,600.00**
***Estimated at the rate of 70% of total targeted no. CT and PT (To be put up in comimg HPC meeting for approval)**				

प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विशाल भारद्वाज)
निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. श्री आर0 एस0 जायल, उप सचिव (एस0बी0एम0 अनुभाग–2), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

(विशाल भारद्वाज)
निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

State Level Budget

Print Media	2400000
Mass Media	487500
Remainder Media	82827000
IEC in schools	300000
Social Mobilization	1500000
Meeting & Advocacy	450000
Training & Workshop	1000000
Miscellaneous & broadcasting charges	1229624
Total	**90194124**

Rs. Nine Cr fifty one Lac ninety four thousand one hundred twenty four only.

ULB Level Budget

Hoardings (small)	203004000
Banner	14097500
Pamphlets	4252376
Wall writing	28195000
Thematic drive	91440000
Activity in school	22860000
TOTAL	**363848876**

Rs. Thirty six Cr thirty eight Lac forty eight thousand eight hundred seventy six only.

State Level - 90194124.00
ULB Level - 363848876.00
Grand Total = 454043000.00

Rs. Forty five Cr forty Lac forty three thousand only.

Proposal of fund release for IEC activities SBM (U) 2016-17

State Level

Sl No	Media	IEC Activities	Proposed No. of activities	Proposed Expediture
	Print Media	Posters on Asali Tarakki	2000	1200000
		Posters on Swachhta App	2000	1200000
2	Mass media	Radio Spot/Jingles (Production & broadcast)	4	120000
		Video Ad (Production)	1	350000
		CD copy for	700	17500
3	Reminder media	Hoarding	2000	18000000
		LED display board at 1090 Chauraha	1	4321800
		LED display board at Airport	1	4321800
		LED display board at Railway Stations (Charbagh, Badshah Nagar, Gomti Nagar, Sadar, Cantt)	5	21609000
		LED display board at Bus Stands (Charbagh, Badshah Nagar, Gomti Nagar, Sadar, Cantt)	5	21609000
		LED display board at Civil & High Court	2	8643600
		LED display board at Metro Station	1	4321800
4	School Activity	Competitions & Rally in schools (Essay/Debate/Poster/Quiz)	6	300000
5	Social Mobilization	Thematic drive at state level	3	1500000
6	Meeting/ Advocacy	Meeting with NGOs/allied departments	3	150000
		Press Conference	3	300000
7	Training & Workshop	Workshop of District Programe Managers	2	400000
		Workshop of Brand Ambassador	2	600000
8		Miscellaneous & broadcasting charges		1229624
			Total Amount	90194124

Rs. Nine Cr one lac ninety four thousand one hundred twenty four only.

ULB Level

Sl No	Particulars	Expenditure (in rupees)	Remark
1	3 Small Hoarding	203004000	at public places
2	5 Banner	14097500	at public places
3	Pamphlets	4252376	community & public places
4	5 Wall Writing	28195000	at public places
5	Activities in School	91440000	School level
6	Thematic drive	22860000	Community level
	Total	363848876	

Rs. Thirty six Cr thirty eight lac forty eight thousand eight hundred seventy six only.

Action Plan format : IEC
Proposed action plan
Period : 2017-18
State : Uttar Pradesh

Sl No	Planned activities	Unit	No. of Units Planned	Time duration (no of days/ months)	Total Units	Tentative Cost /units	Total budget (Rs in lac)
1	TV Spots/ programs / success stories in Local News Channles	No of Spots - 2 per day on DD Lucknow (Mid News)	30 Sec x 2 cuts = 60 sec per day	365 days	730 cuts	45000 per cut	32.85
2	Documentary/short films (Production)	2 films	2	One time	2	350000	7.00
3	Vedio Jingles (Production)	4 Jingles	4	One time	4	30000	1.20
4	Advertisement / success stories in Local Newspapers, Features on SBM Progress & Targets achived.	4 ads per month/ 3 local papers (Danik, TOI, Amar Ujala)	12 x 12	12 months	144	10000	14.40
5	Strickers / Flexes (Bus Panels / Auto /Cycle Rikshaw Panels etc.	Driver side Bus Panel	1140	1 year	1140	1400	15.96
6	FM / Radio Spots for Programe / Success stories	No of Spots - 12 per day on AIR Vividh Bharti - Lucknow, Kanpur, Allahabad & Varansi	30 Sec x 12 cuts = 360 sec per day per channel per station	365 days	4380 cuts 131400 sec per channel per station	390	204.98
7	Press Meets / Conference	State level	1	Quarterly	4	100000	4.00
8	Printing of Newsletters	10 pages coloured of A4 with pictures	5000	By monthly	5000 x 6 = 30000	60	18.00
9	Sending Bulk SMS related to Swachhata	10 SMS per day/ 300 SMS per month	300	365 days	109500	1	1.09
10	State Level Meets (for awards / felicitations)	For ODF/meeting	1	Quarterly	4	100000	4.00
11	Printing of Bags / Diaries / Pens/ Notebook with IEC massages of SBM	For Meeting & conference	2000	Quarterly	8000	1000	80.00
12	Electronic Hoardings	20 Unipols in Lucknow	20 x 12	Yearly	240	38400	92.16
13	Printing of Booklets & leaflets		636 x 1000	As per need	636000	1	6.36
14	Road Shows /Street Plays / Nukkar Natak / Cleanliness Drives	2 per month	636 x 24	Monthly	15264	15000	2289.60
15	Walkathons	Every six month	636 x 2	Half early	1272	10000	127.20
16	Hoardings (10'x12') (Designing, Printing andmounting charges)		636 x 3	Yearly	1908	5000	95.40
17	Banners (8'x4') / Standees Designing & Printing		636 x 10 = 6360 x 4	Quarterly	25440	500	127.20
18	Wall paintings drives		636 x 10 = 6360 x 4	Quarterly	25440	300	76.32

19	Activities to mobilise communities with the help of SHG	1 per month	636 x 12	Monthly	7632	10000	763.20
20	Painting / Quiz / essay competitions and sanitation drive in schools & Colleges		636 x 4 = 2544	Quarterly	2544	10000	254.40
21	Campaigns by self-help groups	1 per month	636 x 12 = 7632	Monthly	7632	5000	381.60
						TOTAL	**4596.92**

State level	482.00	(Rs. Four Cr eighty two lac)
ULB level	4114.92	(Rs. Fourty one Cr fourteen lac)
Total	**4596.92**	**(Rs. Fourty five Cr ninty six lac)**

प्रेषक,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0),
नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग (अनुभाग–5),
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्रांकः–पी0एम0यू0/23 /412(3)–SHPC/2017 लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल, 2017

विषयः **व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु राज्यांश की धनराशि बढ़ाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को 02 अक्टूबर 2019 के पूर्व खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त किये जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु शौचालय विहीन आवासीय इकाइयों में व्यक्तिगत शौचालय बनवाने का लक्ष्य शीर्ष प्राथमिकता पर प्राप्त करने के निर्देश हैं। उपरोक्त का नियमित अनुश्रवण राज्य मिशन निदेशालय स्तर से किया जा रह है। वर्तमान में निदेशालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च 2017 तक 9.06 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 2.94 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण पूर्ण हो सका है।

2– व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु कुल रू0 16000/– प्रति शौचालय की लागत का आंकलन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष कुल रू0 8000/– प्रोत्साहन राशि (केन्द्रांश रू0 4000/– + राज्यांश रू0 4000/–) लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किया जाता है। शेष धनराशि लाभार्थी को स्वयं वहन करते हुए शौचालय निर्माण कराया जाना पड़ता है।

3– राज्यांश की प्रोत्साहन राशि रू0 4000/– प्रति लाभार्थी दिये जाने की स्वीकृति प्रदेश की हाई पावर्ड कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 23–06–2015 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या–5 पर प्रदान की गयी है जिसका कार्यवृत्त शासन के पत्र संख्या–3252/नौ–5–2015–355सा/2014, दिनांक 07–07–2015 से प्रसारित किया गया तथा शासनादेश संख्या–770/नौ–5–2016–355सा/14 दिनांक 18–03–2016 द्वारा लिये गये निर्णयों को क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

4– उल्लेखनीय है कि हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में भारत को सरकार के प्रतिनिधि द्वारा, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु राज्यांश की राशि पर बिन्दु उठाते हुए बताया गया था अन्य राज्यों में यह प्रोत्साहन राशि रू0 8000/– से 13000/– तक रखी गयी है।

5– राज्य मिशन निदेशालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की नियमित समीक्षाओं के दौरान नगर निकायों के नगर आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों द्वारा यह संज्ञान में लाया जाता रहा है कि नगरीय क्षेत्र में अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों के भवनों में ही शौचालय की व्यवस्था नहीं है तथा सम्प्रति कुल रू0 8000/– की प्रोत्साहन राशि से व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण कराये जाने के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित रूचि नहीं ली जाती है।

इस संबंध में शासन में उच्च स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की समीक्षा के दौरान व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की गति को बढ़ाने एवं शहरी निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत राज्यांश में वृद्धि किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया।

SWACHH BHARAT MISSION

Swachh Bharat Mission (Urban) is being implemented by the Ministry of Urban Development, Government of India. Under the aegis of the SBM, the Government of Uttar Pradesh is implementing the Swachh Bharat Mission by the State Mission Directorate / Urban Local Bodies Directorate. The total population of the State is 19.96 Crore and Urban Population is 4.45 Crore. There are 75 Districts & 654 Urban Local Bodies. Weak sanitation has significant health costs and untreated sewage from cities is the single biggest source of water resource pollution in India. This indicates both the scale of the challenge ahead of the Indian cities and the huge costs incurred from not addressing them.

IEC & PA PLAN FOR THE CALENDER YEAR 2017-18

The Swachh Bharat Mission has identified Information, Education and Communication (IEC) and Behaviour Change Communication (BCC) as one of the most important components of the programme. IEC is a process of working with individuals, communities, societies and policy & decision makers to develop communication strategies to promote positive behaviors which are appropriate to their Culture & Social/Community behaviors. IEC combine all suitable strategies, approaches and methods that enable individuals, families, groups, organizations and communities to play active role in achieving, protecting and sustaining the desired behavioral change.

As we know that Knowledge is power. Information is a tool. Behaviour is action. Change is a process. But both information and knowledge is only a necessary but not sufficient condition for behaviour change. Behaviour change is a process, needs a trigger, motivation, benefit, a skill to be learned, identifies personal and social/cultural barriers and facilitates to overcome them, the ability to act and can happen in a supportive and enabling environment.

IEC plays a pivotal role in creating awareness, mobilizing people, and making development process participatory through advocacy and by sharing knowledge, skills and techniques with the people. There are various techniques of communication, which include mass communication as well as inter personal communication. There are not any fixed formulae and the technique to mobilize and ensure participatory development. It varies from place to place, according to their specific problems, cultures and social setup.

A key strategy under SBM (Urban) is behavior change communication to ensure that sanitation as an issue is mainstreamed with the general public at large and should cover issues of open defecation, prevention of manual scavenging, hygiene practices, proper use and maintenance of toilet facilities (household, community or otherwise), etc., and its related health and environmental consequences.

The objective of the IEC programmes in the sanitation sector is to create awareness leading to enhanced involvement of local community at the ULB level, ensure motivation and skill up gradation of department functionaries, school teachers and students, etc. Using children as 'change agent' and build on the mobilization of communities. Generate awareness among the community about linkages between personal and community hygiene, improved sanitation and its impact on health.

Focus Area of IEC Activity

1. Elimination of open defecation.
2. Eradication of Manual Scavenging
3. To generate awareness & effect behavioral change about sanitation
4. Generate awareness about sanitation and its linkage with public health.
5. Capacity augmentation for ULBs.

Following IEC activities will be taken up in the financial year 2017-18 :-

- Print Media
- Mass Media
- Remainder Media
- IEC in Schools
- Social Mobilization
- Meeting & Advocacy
- Training & Workshop

Amount proposed for the financial year 2017-18 :-

For Conducting above seven activities in the financial year 2017-18, necessary provision have been made in the action plan which is as per approved perspective plan for the entire mission period.

State Level	= Rs. 5.11/- (Rs. Five Crore eleven thousand only)
ULB Level	= Rs. 4226.15/- (Rs. Forty two Crore Twenty six Lakh only)
Total	= Rs. 47.37/- Cr (Rs. Forty seven Crore thirty seven thousand only.)

CAPACITY BUILDING and A&OE PLAN FOR THE CALENDER YEAR 2017-18

For implementation of the Swachh Bharat Mission, the State Mission Directorate will be assisted by a constituted Project Management Unit (PMU) at the Directorate Level & a Project Implement Unit (PIU) in each local body. Also a district level coordinator will be engaged to support the ULBs in each district.

Necessary provisions have been made in the Annual Action Plan to meet the establishment charges, Administrative & Operating Expenses (A&OE). Training, Workshop and exposure visits for PMU/ PIU and the ULB's officials have been proposed as per approved prospective plan.

PROPOSED ACTION PLAN FOR IEC & PA

Period : 2017-18

State : Uttar Pradesh

Sl No	Planned activities	Unit	No. of Units Planned	Time duration (no of days/ months)	Total Units	Tentative Cost /units	Total budget (Rs in lakh)
A. State Level Activities							
1	Media Agency for implementation of IEC work	1	1	yearly			25.00
2	TV Spots/ programs / success stories in Local News Channels	No of Spots - 2 per day on DD Lucknow (Mid News)	30 Sec x 2 cuts = 60 sec per day	365 days	730 cuts	45000 per cut	32.85
3	Documentary/short films (Production)	2 films	2	One time	2	350000	7.00
4	Video Jingles (Production)	4 Jingles	4	One time	4	30000	1.20
5	FM / Radio Spots for Programe / Success stories	No of Spots - 12 per day on AIR Vividh Bharti - Lucknow, Kanpur, Allahabad & Varansi	30 Sec x 12 cuts = 360 sec per day per channel per station	365 days	4380 cuts 131400 sec per channel per station	390	204.98
6	Unipole	20 Unipols in Lucknow	20 x 12	Yearly	240	38400	92.16
7	Advertisement / success stories in Local Newspapers, Features on SBM Progress & Targets achieved.	4 ads per month/ 3 local papers (Danik, TOI, Amar Ujala)	12 x 12	12 months	144	10000	14.40
8	Stickers / Flexes (Bus Panels / Auto /Cycle Rickshaw Panels etc.	Driver side Bus Panel	1140	1 year	1140	1400	15.96
9	Stickers / Flexes (Bus Panels / Auto /Cycle Rickshaw Panels etc.	Back Panel	1141	2 year	1140	1800	20.52
10	Printing of Newsletters	10 pages coloured of A4 with pictures	5000	By monthly	30000	60	18.00
11	Printing of Bags / Diaries / Pens/ Notebook with IEC massages of SBM	For Meeting & conference	2000	Quarterly	8000	800	64.00
12	Printing of Booklets & leaflets		654 x 1000	As per need	636000	1	6.36
13	Press Meets / Conference	State level	1	Quarterly	4	100000	4.00
14	State Level Meets (for awards / felicitations)	For ODF/meeting	1	Quarterly	4	100000	4.00
15	Sending Bulk SMS related to Swachhata	10 SMS per day/ 300 SMS per month	300	365 days	109500	1	1.10
						TOTAL	511.53

Note: Rate of Sl no. from 2-9 are as per DAVP and rest are based on market survey.

B. ULB Level Activities

Sl No	Planned activities	Unit	No. of Units Planned	Time duration (no of days/ months)	Total Units	Tentative Cost /units	Total budget (Rs in lakh)
16	Road Shows /Street Plays / Nukkar Natak / Cleanliness Drives	2 per month	654 x 24	Monthly	15696	15000	2354.40
17	Walkathons	Every six month	654 x 2	Half early	1308	10000	130.80
18	Hoardings (10'x12') (Designing, Printing andmounting charges)	5 per ULB	654 x 5	Yearly	3270	3000	98.10
19	Banners (8'x4') / Standees Designing & Printing	10 per ULB	654 x 10 = 6540 x 4	Quarterly	26160	480	125.57
20	Wall paintings drives	10 per ULB	654 x 10 = 6540 x 4	Quarterly	26160	300	78.48
21	Activities to mobilise communities with the help of SHG	1 per month	654 x 12	Monthly	7848	10000	784.80
22	Painting / Quiz / essay competitions and sanitation drive in schools & Colleges		654 x 4 = 2616	Quarterly	2616	10000	261.60
23	Campaigns by self-help groups	1 per month	654 x 12 = 7848	Monthly	7848	5000	392.40
						TOTAL	**4226.15**
						GRAND TOTAL	**4737.68**

Total Rs in words (Rs. Forty seven Cr thirty seven lac sixty eight thousand)

Note: Rate of Sl no. from 18-20 are as per DAVP and rest are based on market survey.

Action Plan format : Capacity Building & A/OE

Proposed action plan : CB & A/OE

Period : 2017-18

State : Uttar Pradesh

Rs. In Lakh

Sl No	Planned activities	Unit	No. of Units Planned	Time duration (no of days/	Total Units	Tentative Cost /units	Representative Cost /Unit	Total budget
1	Establishment of State Level PMU	1	1	12 months	1		3.5 lakh	42.00
2	A & OE @ 50% of sl. 1							21.00
3	IHHL Data Entry Outsourcing Work	5.0 lakh forms			5.0 lakh forms	Rs. 25 Per Form		125.00
4	Engagement of Consultant for preparation of DPRs for SWM					1.5% of project cost		2500.00
5	Exposure visits by State PMU & other Senior officials	15 participants	4	5 days	4	1,00,000.00		60.00
6	Exposure visits by PIU officials	75 participants	6	5 days	6	1,00,000.00		450.00
7	Exposure visits by ULB level Officiers/ Officials	2000 participants	40 units of 50 participants	5 days	40	1,00,000.00		2000.00
8	Training for the State Level PMU outside the State	15 participants	4	5 days	4	1,50,000.00		90.00
9	Training / Workshops for ULB Level Officers / Officials	2000 participants	40 units of 50 participants	2 days		50000.00		1000.00
10	Engagement of Independent Project Review & Monitoring Agencies (PRMA)	3	6	12 months	6	50000.00		300.00
11	Establishment of ULB Level PIU	654	654	12 months	654	Tender Based		990.00
12	A & OE @ 50% of sl. 11							495.00
	Total							**8073.00**

Rs. 80.73 Cr

Note: Rate as per discussion with RCUES, Lucknow.

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) निदेशालय, उत्तर प्रदेश

अति आवश्यक / ई–मेल द्वारा

सेवा में,

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस.बी.एम.)
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

पत्रांक : PMU/3 90/415/SBM/IEC/2016-17 दिनांक : 05 जनवरी, 2017

विषय–शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित "स्वच्छ भारत मिशन (एस0बी0एम0) (नगरीय)" कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में आई.ई.सी. कार्य हेतु रू0 454043/– करोड़ की धनराशि की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

"स्वच्छ भारत मिशन (एस0बी0एम0) (नगरीय)" कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश में जागरूकता हेतु आई.ई.सी. कार्य के लिये रू0 45.4043/– करोड़ की धनराशि का प्रावधान है। उपरोक्त धनराशि के उपयोग हेतु राज्य स्तर पर एवं निकाय स्तर पर धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न है। प्रस्ताव में राज्य स्तर पर कुल व्यय रू0 90194124/– (रू नौ करोड़ एक लाख चौरान्नबे हजार एक सौ चौबीस) का होगा एवं निकाय स्तर पर कुल व्यय रू0 363848876/– (रू छत्तीस करोड़ अड़तीस लाख अड़तालिस हजार आठ सौ छियत्तर) का होगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वर्ष 2016–17 में जागरूकता हेतु आई.ई.सी. कार्य के लिये रू0 45.4043/– करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
निदेशक / स्टेट मिशन डायरेक्टर(एस.बी.एम.)

पृ. सं. एवं दिनांक उक्तवत।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

5/1/17

(राकेश कुमार मिश्र)
निदेशक / स्टेट मिशन डायरेक्टर (एस.बी.एम.)

कार्यालय : नगरीय निकाय निदेशालय
आठवां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
दूरभाष: 0522-2287234 / 2288874 | फैक्स: 0522-2288875 | वेबसाइट: www.localbodies.up.nic.in
ई-मेल: directorlocalbodies@gmail.com, sbmdlbup@gmail.com

IEC PLAN FOR THE CALENDER YEAR 2016-17

Information, Education and Communication (IEC) is a process of working with individuals, communities, societies and policy & decision makers to develop communication strategies to promote positive behaviors which are appropriate to their Culture & Social/Community behaviors. IEC combine all suitable strategies, approaches and methods that enable individuals, families, groups, organizations and communities to play active role in achieving, protecting and sustaining the desired behavioral change.

As we know that Knowledge is power. Information is a tool. Behaviour is action. Change is a process. But both information and knowledge is only a necessary but not sufficient condition for behaviour change. Behaviour change is a process, needs a trigger, motivation, benefit, a skill to be learned, identifies personal and social/cultural barriers and facilitates to overcome them, the ability to act and can happen in a supportive and enabling environment.

IEC plays a pivotal role in creating awareness, mobilizing people, and making development process participatory through advocacy and by sharing knowledge, skills and techniques with the people. There are various techniques of communication, which include mass communication as well as inter personal communication. There are no any fixed formulae and the techniques mobilize and ensuring participatory development. It varies from place to place, according to their specific problems, cultures and social setup.

A key strategy under SBM (Urban) is behavior change communication to ensure that sanitation as an issue is mainstreamed with the general public at large and should cover issues of open defecation, prevention of manual scavenging, hygiene practices, proper use and maintenance of toilet facilities (household, community or otherwise), etc., and its related health and environmental consequences.

The objective of the IEC programmes in the sanitation sector is to create awareness leading to enhanced involvement of local community at the ULB level, ensure motivation and skill up gradation of department functionaries, school teachers and students, etc. Using children as 'change agent' and build on the mobilization of communities. Generate awareness among the community about linkages between personal and community hygiene, improved sanitation and its impact on health.

Focus Area of IEC Activity

1. Elimination of open defecation.
2. Eradication of Manual Scavenging
3. To generate awareness & effect behavioral change about sanitation
4. Generate awareness about sanitation and its linkage with public health.
5. Capacity augmentation for ULBs.

Following IEC activities will be done in this financial year 2016-17:-

- Print Media
- Mass Media
- Remainder Media
- IEC in Schools
- Social Mobilization
- Meeting & Advocacy
- Training & Workshop

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना

1. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का विवरण जहाँ पर प्लान्ट क्रियाशील है–

क्रम सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता (टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	लखनऊ	1300	52.83	52.83
2	वाराणसी	600	48.68	40.16
3	इलाहाबाद	600	30.41	30.41
4	अलीगढ़	220	16.07	16.07
5	इटावा	75	5.82	5.82
6	वाराबंकी	30	5.37	5.37
7	कन्नौज	25	4.62	4.62
8	मैनपुरी	30	4.28	4.28
9	मुजफ्फरनगर	120	6.58	6.58
10	रायबरेली	70	8.78	8.14

2. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का विवरण जहाँ पर प्लान्ट अक्रियाशील है–

क्रम सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता(टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	कानपुर	1500	56.24	56.24
2	आगरा	750	30.84	30.84
3	मुरादाबाद	280	13.16	13.16
4	फतेहपुर	55	9.38	9.38
5	मथुरा	180	9.91	9.91
6	बरेली	300	13.86	13.86

3. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का विवरण जिनका रीटेण्डर कर अनुबन्धित किया जा चुका है –

क्रम सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता(टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	बरेली	300	13.86	13.86
2	मुरादाबाद	280	13.16	13.16
3	मेरठ	600	22.59	16.95
4	आगरा	750	30.84	30.84
5	कानपुर	1500	56.24	56.24

4. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का विवरण जहॉ पर परियोजना का कार्य प्रगति पर है–

क्रम सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता(टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	पिलखुआ	45	8.98	8.98
2	जौनपुर	80	12.20	6.10
3	रामपुर	150	24.02	9.6 (वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आपरेटर द्वारा स्वंय के व्यय से बनाया जाना प्रस्तावित है)

5. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं (वेस्ट टू एनर्जी) का विवरण जहॉ पर परियोजना में री टेण्डर प्रस्तावित है–

क्रम सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता(टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	गोरखपुर	280	15.63	7.82
2	झांसी	200	12.16	10.19

6. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का विवरण जहॉ पर परियोजना में विवाद है–

क्रम सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता(टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	मथुरा	180	9.91	9.91
2	फतेहपुर	55	9.38	9.38
3	सम्भल	75	6.55	4.15
4	बदायूॅ	55	5.78	5.78
5	मिर्जापुर	100	11.01	6.99
6	बलिया	40	6.82	6.82

7. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं का विवरण जहॉ पर भूमि अनुपलब्ध है–

क्रम सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता(टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	लोनी	120	11.81	5.91
2	फिरोजाबाद	130	7.14	3.05
3	बस्ती	40	5.86	2.93
4	नजीबाबाद एवं साहनपुर	60	17.27	6.90

8. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं से जनित कम्पोस्ट–

क्रम सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता(टी.पी.डी.)	उत्पन्न कम्पोस्ट खाद की मात्रा (टी.पी.डी.)
1	लखनऊ	1300	100
2	वाराणसी	600	40
3	इलाहाबाद	600	90
4	अलीगढ़	220	33.50
5	इटावा	75	11.25
6	वाराबंकी	30	4.50
7	कन्नौज	25	3.75
8	मैनपुरी	30	4.50
9	मुजफ्फरनगर	120	18
10	रायबरेली	70	10.50
	कुल	**3070**	**316**

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) निदेशालय, उत्तर प्रदेश

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रेषक,

निदेशक / राज्य मिशन निदेशक, (एस0बी0एम0),
नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,

सेवा में,

श्री प्रवीण प्रकाश,
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस0बी0एम0)
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

संख्याः–पी0एम0यू0 / 101 / 433(2) / 2017 लखनऊ दिनांक 18 मई, 2017

विषयः स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय हेतु धनराशि निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशालय के पत्र संख्या–पी0एम0यू0 / 62 / 433(2) / 2017 दिनांक 09 मई, 2017 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मिशन निदेशालय (स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों से हुई वार्ता के क्रम में पूर्व में प्रेषित उपरिसंदर्भित प्रस्ताव दिनांक 09 मई, 2017 को संशोधित करते हुए पुनरीक्षित प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

2. विदित है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य को कुल 5,52,096 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त के धनराशि के रूप में रू0 110.4192 करोड़ एवं 3496 सामुदायिक शौचालय की सीटों के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में रू0 9.09 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है।

3. मिशन के अन्तर्गत 11,05,007 व्यक्तिगत शौचालय एवं 30,781 सामुदायिक शौचालय की सीटों के निर्माण का लक्ष्य है। राज्य मिशन निदेशालय द्वारा व्यक्तिगत शौचालय के संदर्भ में कुल 4,49,475 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रथम किश्त की धनराशि संबंधित निकायों को निर्गत की जा चुकी है, जिनका निर्माण का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है। विशेष रूप से अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 11 मई, 2017 एवं 17 मई, 2017 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुपालन में **72,535 व्यक्तिगत शौचालयों** के निर्माण हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की **द्वितीय किश्त** की धनराशि **रू0 29.0140 करोड़** भी सम्बन्धित निकायों को निर्गत **(छायाप्रति संलग्न)** की जा चुकी है।

4. प्रदेश में निर्माणाधीन व्यक्तिगत शौचालयों के संदर्भ में यह बिन्दु विशेष उल्लेखनीय है कि द्वितीय किश्त की अनुपलब्धता के कारण शौचालयों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है तथा लाभार्थियों द्वारा इस हेतु बार–बार अनुरोध / आपत्ति भी इंगित करायी जा रही है।

5. यह भी अवगत कराना है कि अब तक **कुल 4,06,899** व्यक्तिगत शौचालय संबंधी आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया जा चुका है एवं पूर्ण हो चुके **75,177** व्यक्तिगत शौचालयों की फोटोग्राफ स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। सामुदायिक शौचालय के संदर्भ में पूर्ण हो चुके **3433** सीटों एवं निर्माणाधीन **667** सीटों के फोटोग्राफ भी स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं।

6. **अतः अनुरोध है कि 4,82,076 (4,06,899+75,177) व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप मेंरू0 96.4152 करोड़ की धनराशि निर्गत करने का कष्ट करें।**

7. अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रदेश के सभी 636 (वर्तमान में 652) नगर निकायों में 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती के एक वर्ष पूर्व ही अर्थात् 02 अक्टूबर, 2018 तक शत प्रतिशत स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जानी है।

कार्यालय : नगरीय निकाय निदेशालय
आठवां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
दूरभाष: 0522-2287234 / 2288874 | फैक्स: 0522-2288875 | वेबसाइट: www.localbodies.up.nic.in
ई-मेल: directorlocalbodies@gmail.com, sbmdlbup@gmail.com

8. उक्त के दृष्टिगत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु निम्नानुसार केन्द्रांश की धनराशि जारी करने का कष्ट करें:—

Component	Mission Target	No. for which amount has been released	Balance No. for which amount to be released	Base Rate (Amount in Rs)	Total Demand (Amount in Crore)
IHHT	11,05,007	5,52,096	5,52,911	2,000.00	110.5822
CT	30,781	3,496	27,285	39,200.00	106.9572
Total Rs					**217.5394**

इस प्रकार बिन्दु 6 व 8 के माँग की सकल धनराशि रू. 313.9546 (तीन अरब तेरह करोड़ पन्चानबे लाख छियालिस हजार मात्र) है।

प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विशाल भारद्वाज)
निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग—5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या—1382/नौ—5—2017—157बजट/2015 दिनांक 11 मई, 2017 एवं पत्र संख्या—1974/नौ—5—2017—157बजट/2015 दिनांक 17 मई, 2017 के क्रम में।
2. श्री आर0 एस0 जायल, उप सचिव (एस0बी0एम0 अनुभाग—2), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

(विशाल भारद्वाज)
निदेशक/राज्य मिशन निदेशक

SWACHH BHARAT MISSION

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

Annual Action Plan

(IEC & CB)

Year : 2017-18

IEC & PA – Rs. 47.37/- Cr.
CB & A&OE – Rs. 80.73/- Cr.

State Mission Directorate
Urban Local Bodies Directorate
8th Floor, Indira Bhawan, Lucknow

स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

ई–मेल द्वारा

कार्यालय निदेशक/ राज्य मिशन निदेशक(एस.बी.एम.), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्र सं.: पी.एम.यू./279/412(2)/एस.बी.एम./सै.शौ./2016 दिनांक: 2 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

"स्वच्छ भारत मिशन(अर्बन)" के अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित Guidelines December 2014 एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन पत्र संख्या 3252(2)/नौ–5–2015–355सा/2014 दिनांक 7.7.2015 द्वारा जारी राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की प्रथम बैठक दिनांक 23.6.2015 के कार्यवृत्त में अंकित समिति के निर्णय के अनुसार पूर्व निर्धारित दिशानिर्देश तथा संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक,(एस.बी.एम.), शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या Q-15014/2/2009-CPHEEO दिनांक 5.08.2016 द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन पत्र संख्या 3634/नौ–5–2016–180सा/2015टीसी दिनांक 26.8.2016 द्वारा जारी राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 10.8.2016 के कार्यवृत्त में अंकित समिति के निर्णय के अनुसार नगरीय निकायों के क्षेत्र में घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु लाभार्थी के खाते में केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बंध में पुनरीक्षित दिशानिर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं:–

क्र. सं.	उत्तर प्रदेश शासन/भारत सरकार द्वारा पूर्व जारी दिशानिर्देश	उत्तर प्रदेश शासन/भारत सरकार द्वारा जारी पुनरीक्षित दिशानिर्देश
1	2	3
1	घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति करने पर ही केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रथम किश्त की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।	भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु लाभार्थी के आवेदन पत्र की स्वीकृति पर प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) की केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
2	घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु लाभार्थी के खाते में निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि दो किश्तों में जारी की जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रेषण के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।	शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 5.08.2016 के अनुसार नगर निकायों को स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि में से उन लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि भी जारी की जा सकेगी जिनके शौचालयों के निर्माण कार्य की प्रगति आपेक्षित रूप से संतोषजनक हो एवं निकाय स्तर पर प्रथम किश्त की धनराशि सरप्लस में (अर्थात प्रथम किश्त की धनराशि जो कार्य प्रारम्भ ना होने के कारण लाभार्थियों को अवमुक्त नहीं की जा सकी है) उपलब्ध हो।

उपर्युक्त पुनरीक्षित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाये।

(राकेश कुमार मिश्र)
निदेशक/राज्य मिशन निदेशक(एस.बी.एम.)

आठवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ-226001
दूरभाष: 0522-2287234 | फैक्स: 0522-2288875 | वेबसाइट: www.localbodies.up.nic.in
ई-मेल: diruplb@nic.in, sbmdlbup@gmail.com

पृ. संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक,(एस.बी.एम.) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

2–सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग–5), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

3–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।

6– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ. प्र.।

7– जूनियर प्रोग्रामर, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ को इस पत्र को शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या O-15014/2/2009-CPHEEO दिनांक 5.08.2016 (छायाप्रति संलग्न) सहित निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश कुमार मिश्र) 24/11/16

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक(एस.बी.एम.)

PRAVEEN PRAKASH, IAS
Joint Secretary & Mission Director (SBM)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

प्रवीण प्रकाश, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस.बी.एम.)
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

सत्यमेव जयते

D.O. No. O-15014/2/2009-CPHEEO

Dated 5th August 2015

Dear

As you are aware that Government of India has launched Swachh Bharat Mission (SBM) on 2nd October, 2014 with target to clean the country by 2nd October, 2019. Construction of individual household toilets, is one of the admissible components under SBM with GOI incentive of Rs. 4,000/- per individual household toilet. 50% of this incentive (Rs. 2000/-) is to be released to the verified beneficiary by the ULB as 1st instalment along with the state share. The remaining 50% of GOI incentive (Rs. 2000/-), as 2nd instalment, is to be released to beneficiary upon verification of physical progress of construction of the household toilet.

It has come to the notice of this Ministry that many ULBs are facing hindrances in release of 2nd instalment to the beneficiaries, once work on construction of household toilets have achieved desirable progress, primarily due paucity of funds with ULBs for release towards 2nd instalment. This situation arises mainly due to the delay in start of other targeted/sanctioned household toilets in same ULB/ in any other ULB, thereby, delaying submission of UC from State Mission Directorate to GOI for release of 2nd instalment. This, in turn, leads to delay in release of 2nd instalment to the beneficiaries, who have shown desired physical progress of toilet construction, thus, discouraging the spirit of Swachh Bharat Mission.

Therefore, to expeditiously complete the ongoing household toilets and encourage such beneficiaries, State Governments are, hereby, permitted to use the unutilized funds, parked in ULBs towards 1st instalment for other targeted/sanctioned non-starter household toilets in same ULB, as 2nd instalment for the beneficiaries who have started the construction of household toilets and have achieved desirable progress.

With regards,

Yours Sincerely,

(Praveen Prakash)

To

Principal Secretary, Urban Development Department of all the States/UTs.

Office: 140-C, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 ✆ Mob. 9013130636, Phone: 011-23062309, Fax: 23063177
praveenprakashud@gmail.com praveen.prakash71@nic.in

स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

From,

Director/State Mission Director (SBM),
Urban Local Bodies Directorate, U.P.

To,

Mr. Praveen Prakash
Joint Secretary & Mission Director (SBM-Urban)
Ministry of Urban Development, Government of India,

Letter No. PMU/ 37 /433(2) SBM/2016 Lucknow, Dated 26 April, 2017

Sub.: Regarding submission of Utilization Certificate under Swachh Bharat Mission (Uttar Pradesh).

Dear Sir,

Please refer to your D.O letter no. 12/1/2015-SBM dated 06.05.2015 regarding fund utilization under Swachh Bharat Mission (Urban).

In this connection the Utilization Certificate (UC) under Swachh Bharat Mission (Urban) for the state of Uttar Pradesh is being submitted for your kind perusal and necessary action.

<u>Enclosure: As above</u>

Your's sincerely,

26/4/17

(Rakesh Kumar Mishra)
State Mission Director (SBM)

Copy for information & necessary action:

Principal Secretary, Nagar Vikas-5, Department of Urban Development, GoUP.

(Rakesh Kumar Mishra)
State Mission Director (SBM)

FORM GFR 19

FORM OF UTIZATION CERTIFICATE

Financial Year 2015-16 and 2016-17

1. Unspent balance for previous year
   a. Individual Household Toilets Scheme : Rs. 0.00 Cr
   b. Community Toilet Scheme Rs.0.00 Cr

2. Grant Received during the year 2014-15 and 2015-16

Letter No. /Date	Grant Received.
(a) No Q-16019 /6/UP/ 2015-CPHHEO dated 30.03.2015	Rs. 37.28 crores,
(b) No Q-16019 /6/UP/ 2015-CPHHEO dated 21.10.2015	Rs. 72.00 crores
(c) Letter No 1/25/ 2015-SBM dated 19.11.2015	Rs. 10.2292 crores,
Total (in Crore)	**Rs . 119.51 Cr**

3. Miscellaneous receipts of the Agency. If any, under SBM (Urban) **Rs. 0.00 Cr**

4. Total Funds (CAA) Available. **Rs. 27.86 Cr**

Certified that a sum of **Rs. 119.51 Cr.** was received by the State of Uttar Pradesh as Grants-in-Aid during FY 2014-15 and 2015-16 from the Government of India vide Ministry of Urban Development's letter number and date as in margin.

Further a sum of **Rs 0.00 Cr.** being unspent balance for the previous year 2014-15 and 2015-16 was allowed to be brought forward for utilization, during the current financial year 2017-18

The miscellaneous receipt of the state during 2014-15 and 2015-16 was **Rs. 0.00 Cr.**

It is also certified that out of the total funds of **Rs. 119.51 Crore,** a sum of **Rs 91.65 Crore** has been released/utilized to ULBs by the State during year 2015-16, 2016-17 and 2017-18 for the purpose for which it was sanctioned/allowed to be sanctioned and that the balance of **Rs 27.86 Crore** remaining unutilized at the end of the year 2016-17 will be adjusted towards the grants-in-aid payable in current financial year 2017-18.

2. Certified that I have satisfied my self that the conditions on which grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the required checks to see that the money was actually utilized/released to ULBs for the purpose for which it was sanctioned/ allowed to be sanctioned.

Kinds of Checks exercised

1 Account Vouchers

2 Bank Statements

26/4/2017 (Harish Chandra) Sanitation Expert (SBM/PMU) State Mission Directorate/ Urban Local Bodies, UP	(Sukhendra Kumar) Assistant Director (Accounts) State Mission Directorate/ Urban Local Bodies, UP

Signed by

(Vishal Bhardwaj)
Additional Director
State Mission Directorate/ Urban Local Bodies, UP

Counter signed by

(Rakesh Kumar Mishra) 26/4/17
State Mission Director (SBM)
State Mission Directorate/ Urban Local Bodies, UP

DC19698

<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-3246/नौ-5-2016-344सा/2016</u>

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री प्रवीण प्रकाश,
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस0बी0एम0),
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 5 अक्टूबर, 2016

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी नगर निगम द्वारा प्रेषित कैपेसिटी बिल्डिंग एवं आई.ई.सी. संबंधी प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (स्टेट हाई पावर्ड कमेटी) की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 के संलग्न कार्यवृत्त का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें वाराणसी नगर निगम द्वारा प्रेषित कैपेसिटी बिल्डिंग एवं आई.ई.सी. संबंधी प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2- उक्त के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा हृदय शहरों (वाराणसी एवं मथुरा) को अतिरिक्त मिशन फण्ड उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी कम में नगर निगम, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत आई.ई.सी. एवं कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रस्ताव कमशः रू0 78.725 लाख एवं रू0 10.80 लाख की स्वीकृति राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (स्टेट हाई पावर्ड कमेटी) की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 द्वारा किया गया है।

3- अतः राज्य मिशन निदेशक(एसबीएम) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 में की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाराणसी नगर निगम द्वारा प्रेषित आई.ई.सी. एवं कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी प्रस्ताव (संलग्न) के संदर्भ में स्वीकृत धनराशि कमशः रू0 78.725 लाख एवं रू0 10.80 लाख अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

AD | AD(MC)

6/X/16

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

AD(Acct)/T.L.

<u>संख्या-3246(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी, 0प्र0।
(3) जिलाधिकारी, वाराणसी।
(4) नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी, उ0प्र0।
(5) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

7/10/16

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

mis eqp.

07-10-16

07/10/16 AD(S)

DC19830

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या-3245/नौ-5-2016-344सा/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री प्रवीण प्रकाश,
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस0बी0एम0),
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

नगर विकास अनुभाग-5 — लखनऊः दिनांक-5 अक्टूबर, 2016

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त प्राप्त किये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) के प्रेषण के संबंध में प्रक्रिया संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (स्टेट हाई पावर्ड कमेटी) की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 के संलग्न कार्यवृत्त का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त प्राप्त किये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) के प्रेषण के संबंध में प्रकिया संशोधित किये जाने के संदर्भ में सहमति व्यक्त की गयी थी।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मिशन के अन्तर्गत केन्द्रांश की अगली किश्त की धनराशि की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के Guidelines के अनुसार National Advisory & Review Committee (NARC) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के दृष्टिगत पूर्व में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (UCs) का प्रेषण आवश्यक है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 635 नगरीय निकायों से अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) प्राप्त किये जा रहे हैं, जिन्हें संकलित कराकर भारत सरकार को प्रेषित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब होने की सम्भावना है। समय से केन्द्रांश की द्वितीय किश्त प्राप्त न होने से मिशन कार्यो में शिथिलता आयेगी एवं कार्यो को समयबद्ध रूप में पूर्ण कराये जाने में कठिनाई उत्पन्न होगी।

3- अतः राज्य मिशन निदेशक (एसबीएम) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 10.08.2016 में की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य मिशन निदेशालय द्वारा नगरीय निकायों को अवमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि के अवमुक्त प्रमाण-पत्र को आधार मानकर द्वितीय किश्त निर्गत कराने का कष्ट करें, जिससे मिशन के कार्यो को समयबद्ध रूप में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 3245(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

18-10-16
D.D.(Acc)
18.10.16
Mis 298.
19/10/16